प्रेसनोट थाना इरादत नगर जनपद आगरा।

थाना क्षेत्र में हुई हत्या का 12 घण्टे के अन्दर किया सफल अनावरण, तीन अभियुक्तगण गिरफ्तर।

दिनांक 20.11.2020 को थाना इरादत नगर पुलिस को वादी महाराज सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी ग्राम कदमपुरा पोस्ट रहलई थाना इरादतनगर जनपद आगरा द्वारा सूचना दी कि मेरे चाचा का पुत्र विनोद कुशवाह पुत्र नेकराम कुशवाह निवासी ग्राम कदमपुरा थाना इरादत नगर जनपद आगरा जंगल में एक जामुन के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा है। उपरोक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जानकारी कर उपरोक्त घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं दी गयी तहरीर के आधार पर थाना इरादत नगर जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 138/2020 धारा 302 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जनपद आगरा में चोरी, लूट, हत्या, डकैती, अवैध खनन आदि नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री एवं आपराधिक घटनाओं व अवैध खनन के विरूद्ध पूर्णतः अंकुश लगाने व इनामियां अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी इरादत नगर को कार्यवाही करने हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग का शीघ्र अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सूचना संकलन कर लगातार पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी कि दौरान विवेचना में तीन अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी। तीनों अभियुक्तों को मुखविर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र इरादत नगर के महाव चौराहे के पास से गठित पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दविश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना करने का उद्देश्य एवं पूछताछ का विवरण :–

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ की गयी तो पुलिस टीम को ज्ञात हुआ कि मृतक विनोद का सम्बन्ध पिस्ता पुत्री कंचन सिंह निवासी ग्राम कदमपुरा थाना इरादत नगर आगरा से करीब 3 वर्षों से था। इस बात को लेकर पिस्ता का भाई सुरेन्द्र मृतक विनोद से अपनी बहन से सम्बन्ध तोड़ने के लिए कहा था। ऐसा ना करने पर विनोद व पिस्ता दोनों को मारने की बात कही थी।

विगत 15 दिन पूर्व मृतक विनोद ने सुनील पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कदमपुरा से कहा कि सुरेन्द्र को रास्ते से हटाना है, मना करने पर सुरेन्द्र मृतक की पत्नी से अवैध सम्बन्ध बनाये रखा है। सुनील के बताने पर सुरेन्द्र ने सुनील व गुलिया पुत्र भूप सिंह निवासी कदमपुरा को मिलाकर विनोद को रास्ते से हटाने की योजना बनाकर बनाई गयी और बनाई गयी योजना के मुताविक दिनांक 19.11.20 को विनोद के पहुंचने पर पहले से घात लगाये बैठे सुरेन्द्र व सुनील ने पीछे पकड़कर मृतक विनोद को जमीन पर गिराकर, गला व मुंह दबाकर विनोद की हत्या कर अपने–अपने घर चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

01. सुरेन्द्र उर्फ सागर पुत्र कंचन सिह निवासी ग्राम कदमपुरा थाना इरादत नगर जनपद आगरा।
02. सुनील पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कदमपुरा थाना इरादत नगर जनपद आगरा।
03. गुलिया पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम कदमपुरा थाना इरादत नगर जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री शिव प्रकाश सोनकर थाना इरादत नगर जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना इरादत नगर जनपद आगरा।
03. कां0 मकसूद, कां0 जितेन्द्र कुमार, कां0 चालक त्रिवेन्द्र तिवारी थाना इरादत नगर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।